

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, जोधपुर।
प्रमाण पत्र

श्रीमती विन्दी एजुकेशन सोसायटी एण्ड रिसर्च सेंटर सरस्वती नगर बी रोड, जोधपुर (संस्था का नाम) द्वारा अधिसूचित 2010-11 में घोषित इन्टरमीडियेट स्कूल सरस्वती नगर जोधपुर (विद्यालय का नाम) को राजस्थान राज्य में सबसे श्रेष्ठ शिक्षा के अर्थ एवं वर सरकारी संस्थाओं को सर्व प्राथमिकता के लिए निर्धारित जा रही भूमिका के दृष्टिगत श्रीमान निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिक्षा/प्रा/शैक्षिक/सो./19828/पूज मान्यता/10-11 दिनांक 23.07.2010 की तालिका में शिक्षा सत्र 2010-11 में उच्च प्राथमिक स्तर पर इम्प्लोन्ट शिक्षण संस्थाओं को सतत स्तर पर निर्माण एवं अनुमोदन। उपर्युक्त विषय शर्तों एवं अनुबंधों के आधार पर शिक्षा सत्र 2010-11 से अतिरिक्त मान्यता शुल्क रु. 15000/- जमा कराने एवं निर्धारित मानदण्ड पूरा करने की शर्त पर सत्र 2010-11 से माध्यम (इंग्लिश) कक्षा 5 को ताल 7वीं व 8वीं, पाठ्यक्रम सत्र को स्वीकृति जारी की जाती है।

1. संस्था द्वारा प्रस्तुत राजस्थान वर सरकारी शैक्षिक संस्था विद्यमान 1982 में दिनांक-1 व आदेश-1 के परिशिष्ट-2 में यथा निर्दिष्ट निर्बंधनों तथा शर्तों की पूर्ति एवं इस बात के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार कभी पाये जाने पर जारी प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।
2. संस्था द्वारा राज्य सरकार, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उप निदेशक माध्यमिक/ प्रारंभिक शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/ प्रारंभिक शिक्षा एवं ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने पर आदेशों, निर्देशों व अनुदेशों का तत्परता से पालन करने एवं उनमें समय-समय पर सुधारी जाने वाली अन्य सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु संस्था पारबंद होगी। अद्यतन की स्थिति में जारी प्रमाण पत्र प्रत्याहारित करने का अधिकार विभाग को धरा सुरक्षित रहेगा।
3. संस्था को विद्यार्थी किसी अन्य वर सरकारी शिक्षण संस्था अथवा सरकारी विद्यालय में प्रवेश हेतु परीक्षा परन्तु इस प्रयोजनार्थ इन्हें संस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित समान परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
4. राजस्थान सरकार के नवीन निर्देशानुसार त्रयोक संस्था को प्रत्येक तीन वर्ष में अपने द्वारा संचालित विद्यालय भवन का भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र नय ब्लू प्रिंट के सक्षम अधिकारों के अस्तित्व सहित प्रस्तुत करना होगा।
5. राजस्थान वर सरकारी शिक्षण संस्थान नियम 1993 के नियम 23 के अनुसार कार्यकारिणी का निर्वाचन कर प्रमाणित प्रति इस कार्यालय को समय-समय पर प्रस्तुत करनी होगी।
6. अभिभावक/छात्र के द्वारा T.C. चलाने में नियमानुसार कार्य करने के अभाव में विद्यार्थी के नामों में परिवर्तन के साथ ही हस्ताक्षर प्रमाणित कर प्रस्तुत करेंगे।
7. विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना शाला स्थान का परिवर्तन नहीं किया जाये।
8. सूचना के अधिकार के तहत आपके विद्यालय से सतत सूचनाएं मांगने पर प्रस्तुत करनी होगी।
9. विद्यालय को स्थानान्तरण पत्र पर मान्यता क्रमांक एवं दिनांक आत्ययक रूप से प्रिण्ट करवाना होगा।


जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा, जोधपुर
दिनांक: 23/9/10


क्रमांक : शिक्षा/प्रा/शैक्षिक/सो./19828/पूज/14/155

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ -

1. श्रीमान निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
2. श्रीमान उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, जोधपुर - एडल, जोधपुर।
3. श्रीमान ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति जोधपुर राहर, जोधपुर।
4. संस्था सचिव, विन्दी एजुकेशन सोसायटी एण्ड रिसर्च सेंटर सरस्वती नगर बी रोड, जोधपुर

कम्यून्स पंजीक।


Principal
RSM INTERNATIONAL SCHOOL
SEC.-B, SARASWATI NAGAR,
BASNI-I, JODHPUR


Secretary
R.S.M. International School
Sec : B, Saraswati Nagar
Basni - Ist, Jodhpur